न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमारी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या पुराना 111/2008 नया न0 17/22

1 रामसिंह पुत्र काननसिंह

2—गोविन्दसिंह पुत्र काननसिंह

3 रतनसिंह पुत्र काननसिंह

समस्त जाति गुर्जर (धाबाई) पेशा खेती व नौकरी निवासी नुंआ तहसील मण्डावा जिला झुझुनुं।

4 बालूसिंह पुत्र काननसिं, जाति गुर्जर (धाबाई) निवासी नुंआ तहसील मण्डावा जिला झुझुनुं (नोट— दौराने दावा मृतक)

4/1 सविता पत्नी स्व बालूसिंह, जाति गुर्जर (धाबाई) निवासी नुंआ, तहसील व जिला झुझुनुं (राज)

4/2 मोहित पुत्र स्व. बालूसिंह

4/3 दीवांशु पुत्र स्व. बालूसिंह

4/4 प्रीति कुमारी पुत्री स्व बालूसिंह

समस्त जाति गुर्जर (धाबाई) निवासीगण नुंआ तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं (राज) जरिये नाबालिग संरक्षक माता सचिता पत्नी स्व बालूसिंह जाति गुर्जर (धाबाई) निवासी नुंआ, तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं (राज.)

सोनी पत्नी काननसिंह, जाति गुर्जर (धाबाई) निवासी नुंआ तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं (राज)

वादीगण

बनाम

1 भादरसिहं पुत्र श्योनाथसिहं जाति गुर्जर (धाबाई) निवासी नुंआ तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं (नोट दौराने दावा मृतक)

1/1 मु केशर पुत्री स्व. भादररिह

1/2 मु संतोष पुत्री स्व भावरसिह

1/3 मु चुकी पुत्री स्वः भादरसिहं

1/4 मु पुष्पा देवी पुत्री स्व. भादरसिहं

1/5 सुरजीत पुत्र स्व. हनुमानसिहं व स्व. गीता

1/6 जयसिहं पुत्र स्व हनुमानसिहं व स्व. गीता

1/7 विद्या देवी पुत्री स्व. हनुमानसिहं व स्व. गीता

1/8 गुटी देवी पुत्री स्व. हनुमानसिहं व स्व. गीता

1/9 मंजु देवी पुत्री स्व हनुमानसिहं व स्व गीता

1/10 लाली देवी पुत्री स्व हनुमानसिहं व स्व. गीता

समस्त जात गुर्जर (धाबाई) निवासीगण कुंआ तहसील मण्डावा जिला झुझुनू (राज)

2—प्रतापसिहं पुत्र भादरसिहं

3—केशरीसिहं पुत्र भादरसिहं

4—ईश्वरसिहं पुत्र भादरसिहं

5 करणसिहं पुत्र नन्दसिहं

6.गिरधारीसिहं पुत्र नन्दसिहं

जाति समस्त गुर्जर (धाबाई) निवासीगण नुंआ तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं (राज.)

8.राजस्थान ग्रामीण बैंक नुंआ तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान ग्रामीण बैंक नुंआ तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्गर्त आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं 151 जा.दीवानी

निर्णय

निर्णय दिनांक 17.07.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदनगण व अनावेदकगण नंबर 01 लगायत 6 का कोमन पूर्वत स्वर्गीय भीवसिंह जी थे। जिनके पुत्रान श्योनाथ सिंह व श्री भूरसिंह जी हुये जो अपने अंतिम जीव तक सामलात में रहे उक्त श्योनाथसिंह के तीन पुत्रान भादरसिंह, नन्दसिंह व कानसिंह हुए जिनमें नन्दसिंह व कानसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, तथा उक्त भादरसिंह जीवित है जो इस प्रार्थना पत्र मे अनावेदक न०। दर्ज है जिसके तीन पुत्रान पैदा हुये जिनमे प्रतापसिंह, केसरीसिंह व ईश्वरसिंह है, तथा उक्त मृतक नन्दसिंह के दो लड़के पैदा हुये जो कर्णसिंह व

गिरधारीसिंह है जो इस प्रार्थना पत्र मे अनावेदकगण नंबर 5 व 6 है तथा उक्त कानसिंह के चार पुत्रान पैदा हुये जो रामसिंह, गोविन्द सिंह व रतनसिंह व बालसिंह है जो इस प्रार्थना पत्र में आवेदकगण नबर 01लगायत 4 है तथा कानसिंह की विवाहिता औरत श्रीमती रानी देवी भी जीवित है जो इस प्रार्थना पत्र में आवेदिका नंबर 5 है। तथा उक्त भूरसिंह के पुत्र दशरथसिंह, छोटूसिंह नाम के व्यक्ति के गोद चले गये तथा भूरसिंह के पुत्र रामकुमारी सिंह व भगवतसिंह लाओलाद फोत हो गये इसलिए उक्त भूर सिंह व श्यानाथ सिंह की जो खातेदारी काश्त की आराजीयात वाके ग्राम नुआ मे थी जो सारी अकेले श्योनाथसिंह को मिल गई इसलिए पुरी जमीन का खातेदार काश्तकार अकेला श्योनाथसिंह हो गया उक्त श्यानाथसिंह की पूरी जमीन मे 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार भादरसिंह हुआ तथा 1/3 हिस्से की भूमि का ही खातेदार काश्तकार नन्दसिंह हुआ तथा 1/3 हिस्से की भूमि का ही खातेदार काश्तकार कानसिंह हुआ और पक्षकारान उक्त श्योनाथसिंह से उतराधिकार में जो जमीन मिली उसको आपसी सुविधा अनुसार व बाहमी बंटवारे के तहत अलग अलग काश्त करते है तथा खातेदार काश्तकार भी है। परन्तु भादरसिंह के पुत्रान 01 लगायत 3 ने जमीन को लेकर विवाद खडे कर दिये है। तथा उल्टे सिधे मुकदमे भी कर दिये परन्तु आपसी सुविधा से अन्य जमीनात के अलावा भूमिगत खसरा नंबरान 306 रकबा 15 बीगा पुख्ता मौज नूआं उक्त श्योनाथसिंह के पुत्र कानसिंह के अकेले के हिस्से मे आई जिसको अब उसके वारिसान आवेदकगण नंबरान 01 लगायत 5 काश्त करते है व काबिज है तथा फव्वारा सेट द्वारा सिचाई करने के लिए पाईप भी गाड रखे है। जिनकी सिचाई आवेदकगण अपने पडोस मे स्थित दूसरे खेत में बने कुआ से करते है तथा आवेदकगण के इस जमीन मे कडबी का छुरीया भी लगा रखा है परन्तु अनावेदक न०२ प्रतापसिंह उक्त उतरा नंबर 306 रकबा 15 बीघा पुख्ता मोजा नूआं की भूमि को नाजायज तौर पर हडपना चाहताहै जबकि उसका उक्त भूमि पर ना तो कब्जा है व ना ही वह खातेदार काश्तकार है परन्तु अनावेदक नंबर प्रताप सिंह ने पहले तो बाला बाला उक्त भूरसिंह के द्वारा अपने हक में दान पत्र होना बताकर उक्त भूमि खसरा नंबर 306 रकबा 15 बीगा पुख्ता मोजा नूआ का नामान्तरकरण संख्या 296 अपने हक में मंजूर करवा लिया बाद मे उक्त नन्दसिंह के पुत्र कर्णीसंह के द्वारा विरोध करने पर उक्त इंतकाल को रदद कर दिया गया। जिसके हाल खतरा नंबर 539 रक्खा 1.49 हेक्टर हाल खसरा नंबर 540 रक्वा 1.00 हेक्टर हाल खसरा नंबर 541 रकबा 1.30 हेक्टर मोजा ग्राम नुआ कायम हुये हैं। उक्त भूमि गत खसरा नंबर 306 रकबा 15 बीगा पुख्ता मौजा नूआ का राजस्व रिकार्ड उल्टा सिधा गलत बना हुआ है जबकि असलीयत मे पूर्व में जमाबन्दी 2012 में दूसरे व्यक्तियो की खातेदारी मे दर्ज है जो सम्वत 2012 से लेकर 2015 तक दर्ज है जो गलत दर्ज है। इसके बाद मे इस भूमि का खातेदार काश्तकार भूरजी पुत्र भीवजी कोम धाभाई साकिन नुआ दर्ज है तथा बाद में राजस्व अधिकारियो की गलती से अकेले दशारथसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति गुर्जर निवासी नूआं की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई तथा बाद में उसकी बेवा नोजा के नाम दर्ज करदी गई जो भी गलत दर्ज की गई जबकि खसरा गिरदावरी सम्वत 2009, 2012 व 2013 से 2016 व 2016 से 2019 में वही काश्त दशरथसिंह पुत्र छोटूसिंह की दर्ज है कही बहादुर सिंह की दर्ज है तथा कही दशरसिंह को बहादुरसिंह का लडका दर्ज कर रखा है जो गलत दर्ज कर रखा है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 से 2027 मे भूरजी पुत्र भीवजी को खातेदार काश्तकार दर्ज कर रखा है। जबकि वास्तविकता में खातेदार काश्तकार कानसिंह, नन्दसिंह और भादरसिंह हुये मगर श्योनाथसिंह व भूरजी सगे भाई थे और श्योनाथसिंह का स्वर्गवास भूरजी से पहले हो गया और उक्त श्योनाथसिंह के बड़े लडके भादरजी है इसलिए भादरजी का नाम राजस्व रिकार्ड में कही कही अकेले का दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है उक्त भूमि भूरजी की जागीरी की भूमि थी यानी की वह बाढदार था। इसलिए कानसिंह के वारिसान का उक्त भूमि में खातेदारी हदूक पूर्णरूप से प्राप्त है व खातेदार काश्तकार है। तथा राजस्व रिकार्ड गलत बना हुआ है जिसे आवेदक पाबन्द नहीं है।अनावेदक नंबर 2 प्रतापसिंह ने एक दावा बाला बाला ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय झुंझुनूं की अदालत में प्रतापसिंह बनाम राजस्थान सरकार दावा बावत घोषणाार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती दायर कर उक्त भूमि हाल खसरा नंबर 539 540.541 कुल किता 3 कुल रकवा 3.79 हेक्टर ग्राम नूआं का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का दावा दायर किया जिसको श्रीमानजी की अदालत हाजा द्वारा दिनांक 24–3–06 को खातेदार काश्तकार अकेले को घोषित कर दिया गया है जबकि वास्तविकता मे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार आवेदकगण है व आवेदकगण का ही कब्जा हैं तथा आवेदकगण ने उक्त भूमि पर एक छप्पर भी बना रख है। अनावेदक न०२ प्रताप सिंह को रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए वहा परन्तु अब उसने दिनांक 10–11–08 को रिकार्ड दुरुस्त करवाने ते पूर्णतया इन्कार कर दिया तथा अनावेदकगण न०। लगायत 4 वे जबरन उक्त खेती की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तथा खेत पर आवेदकगण की खड़ी चने की फसल को बर्बाद करने की धमकी दी तो अदालत हाजा को यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व दावा पेशा करना आवश्यक हुआ ।उक्त दावे में अनावेदक न०2 प्रताप सिंह ने आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया इसलिए आवेदकगण के खिलाफ मे उक्त डिग्री दिनाक्ति 24.042006 आवेदकगण के खातेदारी अधिकारों पर बंअसर है जिससे आवेदकगण पावन्द नही है। अनावेदकगण न०01 लगायत 6 व उसके समर्थको ने भी आवेदकगण को उनकी खातेदारी काश्त की भूमि से दिनांक 10–11–08 को जबरन बेदखल करने की धमकी दी व खेत में खड़ी चने की फसल को बर्बाद करने की धमकी दी तो अदालत हाजा में यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व दावा घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना जरूरी हुआ । आवेदकगण का प्रथम दृष्टिया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदकगण के हक मे है तथा अगर अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण को जब बल प्रयोग कर बेदखल कर दिया गया तो

आवेदकगण को ही बहुत ही असहनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि तापतला दावा अनावेदकगण न० 01 लगायत 4 व अनावेदक न08 के विरूद्ध में अस्थायी हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय की फरमावे कि वे उक्त भूमि खसरा नंबर 539, 540, 541 किता 3 कुल रकबा 3-79 हैक्टर मौजा नूआ तहसील व जिला झुझुनूं की बाबत आवेदकगण के खातेदारी को व किसी भी प्रकार की कोई मुजाहमत व मदाखलत नही पहुंचावे व ना ही आवेदकगण को जबरन बेदखल करे और ना ही आवेदकगण की फसल को उजाडे तथा ना ही अनावेदकगण न०1 लगायत 4 उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करे तथा ना ही अपने एजेन्टो से करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलबाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबध मे प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण सख्या 1 02.04 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि धारा 1 दरखवास्त मे दावा पेश करना स्वीकार है परन्तु वाद वादीगण आधारहीन होने से खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण ने गलत वंशावली दर्ज की है। पुरा जवाब बयान मजीद में दर्ज है।यह कि धारा 3 प्रार्थना पत्र जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। आवेदकगण ने गलत बाते दर्ज की है। पुरा जवाब बयान मजीद में दर्ज है। धारा 4 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से दर्ज है। पुर्णतया स्वीकार नही है। भूमि गत ख.न. 306 तादादी 15 बीघा पुख्ता वाके ग्राम नुआ की जमीन भुरजी पुत्र बदंजी की खातेदारी में दर्ज थी व उक्त भूरजी ने अपनी समस्त जमीन जायदाद व काश्त की जमीन की वसीयत व दान पत्र बहक प्रतापसिहं को करवा दिया। इस प्रकार से भुरजी की जमीन मे प्रतापसिहं के अलावा किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा।गत ख.न. 306 तादादी 15 बीघा के बाबत प्रतापसिहं द्वारा दावपेश किया जाना व दावा डिकी किया जाना स्वीकार है। व केसरीसिह द्वारा अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां पेश किया जाना स्वीकार है। परन्तु उक्त अपील का निर्णय राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने दिनाक 27.09.2016 को केसरीसिह की अपील खारीज कर उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं का निर्णय बहक प्रतापसिहं को बहाल रखा जमीन और बहस पर प्रतापसिहं का कब्जा है व अन्य किसी का कोई कब्जा नहीं है। पुरा जवाब बयान मजीद में दर्ज है।धारा 6 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। जमीन गत ख.न. 306 व वर्तमान ख.न. 539, 540, 541 पर वादीगण का कोई हक व हिस्सा कित्ती भी प्रकार से नहीं होने से आवेदकगण को फरीक बनाना जरूरी नहीं था व जमीनें जेर बहस पर आवेदकगण का कोई कब्जा व काश्तना तो हैव ना कभी भी रही है। धारा 7 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। धारा 8 प्रार्थना पत्र पुर्णतया अस्वीकाकर है। दरखवास्त देहन्दा रामसिहं वगैर का ना तो प्रथम द्वष्टिया केस है व ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपार क्षति का बिन्दु उनके हक में है। इसके बनीसपत प्रतापसिहं का प्रथम् द्वष्टिया मुकदमा है। व सुविधा का सन्तुलन व अपार क्षति का बिन्दु भी प्रतापसिहं कजे हक में है।धारा 9 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। दरखवास्त देहन्दा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आ. 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन पेश करने व किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।यह कि धारा 10 प्रार्थना पत्र कानुनी है। धारा 11 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। धारा 12 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। दरख्वास्त देहन्दा रामसिहं बगेरह किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जमीन जैर बहस पर दरखवास्त देहन्दा रामसिहं वगैरह का कोई हक व हिस्सा किसी भी तरह का नहीं है। बयान मजीद– यह कि आवेदकगण व अनावेदकगण नं. 1 लगायत 6 की वंशावली निम्न प्रकार से है व आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगायत 6 के पूर्वजों में अनावेदक सं. 1 ही बुर्जुग व्यक्ति है व वादीगण के कथन के मुताबिक भी अनावेदक स. 1 आज करीबन 101 साल का व्यक्ति है ।आवेदकगण व अनावेदकगण लगायत 6 स्वर्गीय गुमानीराम के वंशज है। उक्त गुमानीराम का देहान्त हो चुका है। स्वर्गीय गुमानीराम जी के तीन पुत्र हुये सालूराम जी, मेवजी व नाहरसिहं जी व तीनों का भी देहान्त हो चुका है। स्वर्गीय सालूराम जी के तीन पुत्र हुये जो कमश विगतजी, भीवजी व खमजी उक्त तीनों का भी देहान्त हो चुका है। स्वर्गीय विगत जी के एक पुत्र हुये बलवन्त जी जो कि नाऔलाद फौत हो चुके है व स्वर्गीय भीवजी के पांच पुत्र हुये जो कि भूरजी जो कि बद जी के गोद गये व दुसरे पुत्र मादजी जो कि खमजी के गोद गये व तीसरे पुत्र छोटु जी जिनके पुत्र सन्तान ना होने पर दशरथ जी को गोद लिया व चौथे पुत्र रावत जी हुये जो कि भोमजी के गाद गये व पाचवें पुत्र श्योनाथ जी उक्त श्योनाथ जी के तीन पुत्र हुये जो कमशः भादरसिहं, नन्दसिहं व कानसिहं हुये उक्त भादरसिहं अनावेदक सं. 1 है। उक्त भादरसिहं के तीन पुत्र हुये जो कमशः प्रतापसिहं, केसरीसिहं व ईश्वरसिहं हुये प्रतापसिहं को भुर जी ने अपनी सम्पति दान व वसीयत की केसरीसिहं जो कि दशरथसिहं की सम्पति पर काबिज है व ईश्वरसिहं भादरसिहं का पुत्र है व स्व. नन्दसिहं के वारीसान करणसिहं व गिरधारीसिहं है। जो कि अनावेदक न. 5 व 6 हैं व कानसिहं के वारीसान आवेदकगण है। व स्वर्गीय गुमानीराम जी के दुसरे पुत्र उक्त मेदजी हुये व स्वर्गीय मेदजी के भोमजी हुये व उक्त स्वर्गीय भोमजी पुत्र सन्तान ना होने पर उन्होने रावत जी को गोद लिया उक्त सभी का देहान्त हो चुका है व रावत जी के वारिसान है। व स्वर्गीय गुमानीराम जी के तीसरे पुत्र नाहरसिहं हुये इनका देहान्त हो चुका है व स्वर्गीयनाहरसिहं जी के बदजी व बन जी हुये उका बनजी ना औलाद फौत ही गये व बदजी के गुर जी गोद आये। इस प्रकार से अब स्वर्गीय गुमानीराम जी के परिवार में स्वर्गीय सालुराम जी के परिवार में स्वर्गीय भीय जी के परिवार में पुत्र दशरथसिहं जी के वारीसान में केसरीसिहं दतक पुत्र दशरथसिहं व स्व. श्योनाथ जी के परिवार में भादरसिहं अनावेदक सं.

1 व भादरसिंह के पुत्र ईश्वरसिंह व स्वर्गीय श्योनाथ जी के दूसरे पुत्र नन्दसिंह के वारिसान अनावेदक सं5 व 6 है व स्वर्गीय कानसिंह के वारिसान में वादीगण है व स्वर्गीय भादरसिंह के वंशजों में भूरजी के दत्तक पुत्र प्रतापसिंह है। व दशरथ जी की सम्पति पर केसरीसिंह काबिज है व भूरजी की सम्पति पर प्रतापसिंह काबिज है व स्व श्योनाथ जी की सम्पति पर 1/3 हिस्से पर अनावेदक संख्या 1 व अनावेदक संख्या 4 काबिज है 1/3 हिस्से पर अनावेदक सं 5 व 6 काबिज है व 1/3 हिस्से पर आवेदकगण काबिज है व काश्त करते है। स्वर्गीय बदली बिशाऊ ठिकानों में काम करते थे व बदली के बुजुर्ग होने पर बिशाऊ में भूरजी काम करने लगे व बिशाऊ ठिकाने ने अपनी जमीन में से भूरजी को जमीन दी थी व भूरजी ने जरिये वसीयत व दान पत्र उक्त जमीन अपने दत्तक पुत्र प्रतापसिंह को दे दी व भूरजी की सम्पति चल व अचल सम्पति पर प्रतापसिंह काबिज है। व काश्तकार रहा है। जमीन गत ख न 306 तादादी 15 बीघा भूर जी की जमीन थी उक्त जमीन के वर्तमान ख न 539, 540 व 541 पड़े है व उक्त जमीन पर वर्तमान में प्रतापसिंह ही काबिज है व काश्त करता है व इस जमीन पर प्रतापसिंह के अलावा किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। गत ख.न. 306 तादादी 15 बीघा के बाबत गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अनावेदक सं. 1 ने भी दावा पेश किया था परन्तु अदालत उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर अनावेदक सं. 1 भादरसिंह की जमीन होना नहीं माना था। अनावेदक संख्या 1 ने अपनी खातेदारी काश्तकारी की जमीन के बाबत व केसरीसिंह पुत्र दशरथ की जमीन के बाबत एक दावा उनवानी भादरसिंह बनाम केसरीसिंह वगैर दावा संख्या 40/04 पेश किया था व उक्त दावे मे इस दावे में दर्ज वादीगण भी प्रतिवादी दर्ज थे व उक्त दावे में उक्त वादीगण ने अपना जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम अदालत हाजा में पेश किया था व उक्त जवाब दावे व काउन्टर क्लेम मे वादीगण ने जमीन जैर बहस गत ख.न. 306 तादादी 15 बीघा वाके ग्राम नुआ के बाबत कोई काउन्टर क्लेम नही किया था व काउन्टर क्लेम भी दावा ही माना जाता है। इस प्रकार से वादीगण ने जमीन जैर बहस पर अपना हक नहीं माना था अर्थात अगर हक था तो भी छोड़ दिया था व अब कानूनन गत ख.न. 306 के बाबत वादीगण कोई वाद नहीं ला सकते है। इस कारण से भी वाद वादीगण निरस्त होने योग्य है। आवेदकगण को जैर बहस के बाबत उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं की डिक्री व दावा पेश करते समय इस जमीन के बाबत अपील उनवानी केसरीसिहं बनाम प्रतापसिहं वगैरह माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां अपील चल रही थी परन्तु आवेदकगण ने उक्त अपील मे फरीक बनने का आवेदन जानकारी होने के बाद भी पेश नहीं किया व उक्त अपील में उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं का आदेश सही मानकर के जमीन जैर बहस प्रतापसिहं की जमीन मानी है। इस कारण से भी आवेदकगण किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। आवेदकगण जमीन जैर बहस पर किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं है। प्रतापसिहं के हक में जारी दान पत्र व वसीयत को निरस्त करवाये बिना आवेदकगण का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है।अतः जबाब दरखवास्त मय शपथ पत्र पेशकर दन है कि रामसिहं वगैरह की दरखवास्त अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा हर्जा खारीज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदनगण व अनावेदकगण नंबर 01 लगायत 6 का कामन पूर्वत स्वर्गीय भीवसिंह जी थे। जिनके पुत्रान श्योनाथ सिंह व श्री भूरसिंह जी हुये जो अपने अंतिम जीव तक सामलात में रहे उक्त श्योनाथसिंह के तीन पुत्रान भादरसिंह, नन्दसिंह व कानसिंह हुए जिनमें नन्दसिंह व कानसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, तथा उक्त भादरसिंह जीवित है जो इस प्रार्थना पत्र मे अनावेदक न० 1 दर्ज है जिसके तीन पुत्रान पैदा हुये जिनमे प्रतापसिंह, केसरीसिंह व ईश्वरसिंह है तथा उक्त मृतक नन्दसिंह के दो लड़के पैदा हुये जो कर्णसिंह व गिरधारीसिंह है जो इस प्रार्थना पत्र मे अनावेदकगण नंबर 5 व 6 है तथा उक्त कानसिंह के चार पुत्रान पैदा हुये जो रामसिंह, गोविन्द सिंह व रतनसिंह व बालसिंह है जो इस प्रार्थना पत्र में आवेदकगण नबर 01लगायत 4 है तथा कानसिंह की विवाहिता औरत श्रीमती सोनी देवी भी जीवित है जो इस प्रार्थना पत्र में आवेदिका नंबर 5 है। तथा उक्त भूरसिंह के पुत्र दशरथसिंह, छोटूसिंह नाम के व्यक्ति के गोद चले गये तथा भूरसिह के पुत्र रामकुमार सिंह व भगवतसिंह लाओलाद फोत हो गये इसलिए उक्त भूर सिंह व श्योनाथ सिंह की जो खातेदारी काश्त की आराजीयात वाके ग्राम नुआ मे थी जो सारी अकेले श्योनाथसिंह को मिल गई इसलिए पुरी जमीन का ,खातेदार काश्तकार अकेला श्योनाथसिंह हो गया उक्त श्योनाथसिंह की पूरी जमीन मे 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार भादरसिंह हुआ तथा 1/3 हिस्से की भूमि का ही खातेदार काश्तकार नन्दसिंह हुआ तथा 1/3 हिस्से की भूमि का ही खातेदार काश्तकार कानसिंह हुआ और पक्षकारान उक्त श्योनाथसिंह से उतराधिकार में जो जमीन मिली उसको आपसी सुविधा अनुसार व बाहमी बंटवारे के तहत अलग अलग काश्त करते है तथा ,खातेदार काश्तकार भी है। अनावेदक नंबर प्रताप सिंह ने पहले तो बाला बाला उक्त भूरसिंह के द्वारा अपने हक में दान पत्र होना बताकर उक्त भूमि खसरा नंबर 306 रकबा 15 बीगा पुख्ता मोजा नूआ का नामान्तरकरण संख्या 296 अपने हक में मंजूर करवा लिया बाद मे उक्त नन्दसिंह के पुत्र कर्णीसंह के द्वारा विरोध करने पर उक्त इंतकाल को रदद कर दिया गया। जिसके हाल खतरा नंबर 539 रक्खा 1.49 हेक्टर हाल खसरा नंबर 540 रक्वा 1.00 हेक्टर हाल ख़सरा नंबर 541 रकबा 1.30 हेक्टर मोजा ग्राम नुआ कायम हुये है। उक्त भूमि गत खसरा नंबर 306 रकबा 15 बीगा पुख्ता मौजा नूआ का राजस्व रिकार्ड उल्टा सिधा गलत बना हुआ है जवकि असलीयत मे पूर्व में जमाबन्दी 2012 में दूसरे व्यक्तियो की खातेदारी मे दर्ज है जो सम्वत 2012 से लेकर 2015 तक दर्ज है जो गलत दर्ज है। इसके बाद मे इस भूमि का खातेदार काश्तकार भूरजी पुत्र

[illegible] 1-11-08 को जबरन बेदखल करने की धमकी दी व [illegible] भूमि से दिनांक 10-11-08 को जबरन बेदखल करने की धमकी दी तो अदालत हाजा में यह प्रार्थना पत्र [illegible] फसल को बर्बाद करने की धमकी दी तो अदालत हाजा में यह प्रार्थना पत्र [illegible] करना जरूरी हुआ। आवेदकगण का [illegible] व दावा घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना जरूरी हुआ। आवेदकगण का [illegible] है तथा सुविधा का सन्तुलन भी आवेदकगण के हक मे है तथा अगर अनावेदकगण [illegible] आवेदकगण को जब बल प्रयोग कर बेदखल कर दिया गया तो आवेदकगण को ही बहुत ही [illegible] हानि होगी। भूमि ख.न. 539, 540, 541 बाबत प्रतापसिंह पुत्र भादरसिंह ने एक एफ आई आर न. 124/2021 पुलिस थाना मण्डावा मे अ.धारा 143, 447, 504, 506 भा.द.स. में दर्ज करवाई थी जिसमें [illegible] आर न 39/2021 प्रस्तुत हुई उक्त प्रथम सुचना रिपोर्ट में तफतीश अधिकारी ने अपने निष्कर्ष में [illegible] किया कि उक्त भूमि ख.न. 539, 540, 541 को गोविन्दसिंह व उसके भाईयो द्वारा काश्त किया जा [illegible] 30-35 सालो से काश्त किया जा रहा है। यह कि प्रतापसिंह ने एक एफ आई आर न. 50/2020 पुलिस थाना मण्डावा मे अ.धारा 143, 447 दर्ज करवाई जिसमें एफ आर न. 09/2020 प्रस्तुत हुई जिसमे तफतीश अधिकारी ने तफतीश मे यह निष्कर्ष निकाला कि ख.न. 539, 540, 541 की भूमि गोविन्दसिंह व उसके भाईयो द्वारा काश्त की जा रही है तथा उक्त भूमि पर 35-40 सालो से गोविन्द सिंह व उसके भाई काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशा कर निवेदन है कि तापतला दावा अनावेदकगण न० 01 लगायत 4 व अनावेदक न08 के विरूद्ध में अरथायी हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय की फरमावे कि वे उक्त भूमि खतरा नंबर 539, 540, 541 विता 3 कुल रकवा 3-79 हेक्टर मौजा नूआ तहसील व जिला झुझुनू की बाबत आवेदकगण के खातेदारी को मे किसी भी प्रकार की कोई मुजाहमत व मदाखलत नही पहुंचावे व ना ही आवेदकगण को जबरन बेदखल करे और ना ही आवेदकगण की फसल को उजाडे तथा ना ही अनावेदकाण न०। लगायत 4 उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करे तथा ना ही अपने एजेन्टो से करवाये।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 02,04ने दोराने वहस जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि यह रामसिंह वगैरह ने वाके ग्राम नुंआ की गत खन. 306 तादादी 15 बीघा जिसके हाल ख.न. 539, 540 व 541 के बावत दावा व अरस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया है।यह कि अस्थाई निषधाज्ञा की बहस में आवेदकगण के वकील श्री विनोद कुमार गिल ने अपनी बहस में कवल ख.न. 539 540 व 541 के बाबत एफ आई आर स. 50/2020 एफ आर स. 09/2020 व एफ आई आर संख्या 124/2021 व एफ आर स. 39/2021 को आधार मानकर के अपने कब्जे से बेदखल ना करने की बहस की है व जबकि उक्त एफ आर दोनों ही स्वीकार नहीं हुई है व न्यायालय में चल रही है। इस बावत दस्तावेजात प्रतिवादी ने पेश किये है। जमीन जैर बहस पर वादीगण का कब्जा व काश्त नही है। प्रतिवादी प्रतापसिंह का ही जमीन जैर बहस पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। जमीन जैर बहस ख.न. 306 तादादी 15 बीघा वाके ग्राम नुआं भूरजी वल्द बदजी की खातेदारी काश्तकारी मे चली आ रही थी।5-यह कि भूर जी ने अपनी समस्त जमीन जायदाद व काश्त की जमीन [illegible]नामा व दान पत्र बहक प्रतापसिंह को करवा दिया इस प्रकार से भूर जी की जमीन में प्रतापसिंह के अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा।प्रतापसिंह पुत्र भादरसिंह प्रतिवादी ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं में दावा सं. 1/06 दावा उनवानी प्रतापसिंह बनाम सरकार दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती का किया व उक्त दावा प्रतापसिंह के हक में न्यायालय ने अपने आदेश दिनाक 24.03. 2006 को डिक्री कर दिया।उक्त दावे की एक अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी झुझुनूं की अदालत में की गई जो अपील 93/2006 केसरी सिंह बनाम प्रतापसिंह वगैरह जिसमें अपील खारीज होकर के अदालत मातहत का निर्णय दिनाकं 24.03.2006 को यथावत रखा उक्त अपील के वाद में और कही चारा जोही नहीं की गई जो कि उक्त निर्णय अन्तिम है।यह कि एक [illegible]

बनाम केसरीसिंह वगैरह दावा घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया उक्त दावे में वादीगण प्रतिवादी थे व उक्त दावे में जमीन जैर बहस ख.न. 306 के बाबत कोई रिलिफ नहीं चाही। अगर ख.न. 306 प्रतिवादीगण उक्त दावे में वादीगण का होता तो उक्त दावे में प्रतिवादीगण (वादीगण) एतराज करते व अपना काउन्टर क्लेम पेश करते परन्तु उन्होंने कुछ भी नहीं किया उक्त दावे में प्रतिवादी गोविन्दसिंह पुत्र कानसिंह ने अपने सशपथ बयान भी दिये परन्तु ख.न. 306 के बाबत कुछ भी हवाला नहीं दिया उक्त दावा अदालत उपखण्ड अधिकारहरानू द्वारा दिनाक 31.08.2006 को निर्णय पारित होकर के दिनाक 04.09.2006 को डिक्री पारित हो गया।यह कि वादीगण ने मुकदमा संख्या 01/2006 निर्णय दिनाक 24.03.2006 डिक्री दिनाक 04.07.2006 मुकदमा उनवानी प्रतापसिंह बनाम राजस्थान सरकार उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं मु.न. 01/2006 के खिलाफ माननीय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुझुनु के यहा अपील संख्या 03/2022 पेश की जो कि राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनाक 20.05.2025 के द्वारा उक्त अपील खारीज कर दी व अदालत राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय में वसीयत, दान पत्र नामान्तरकरण प्रतिवादी प्रतापसिंह के हक में होना दर्ज कर दिया उक्त वसीयत, दान पत्र नामान्तरकरण को वादीगण ने कही भी चुनौती नहीं दी है व वादी की अपील संख्या 03/2022 उनवानी रामसिंह बनाम प्रतापसिंह वगैरह को अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुझुनूं ने अपने आदेश दिनाक 20.05.2025 को खारीज कर दिया इसके खिलाफ वादीगण ने कोई अपील पेश नही की।यह कि जमीन जैर बहस के बाबत एक फौजदारी प्रकरण प्रतिवादी प्रतापसिंह ने पुलिस थाना मण्डावा प्राथमिकी न. 25/2007 दर्ज करवाई थी उक्त एफ आई आर पर पुलिस थाना मण्डावा ने अपने निर्णय दिनाक 12.02.2020 में वादीगण को दोषी मानकर के 437 भा.द.स. में परिविक्षा का 447 लाभ देकर छोड़ा था इस तरह से वादीगण का जमीन जैर वहस पर कोई विधिवत कब्जा नहीं है व न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट झुझुनूं प्रकरण स434/2008 में अदालत न्यायिक मजिस्ट्रेट झुझुनूं दिनाक 15.07.2020 को वादीगण को दोषी माना है।यह कि काननून फौजदारी प्रकरण सिविल परिवाद पर कोई असर नहीं रखते है यह कानून की मंशा है।यह कि जमीन जैर बहस पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा व काश्त है व वसीयत, दान पत्र, नामान्तरकरण व निर्णय सक्षम न्यायालय प्रतिवादी प्रतापसिहं के हक में है व प्रतापसिह का कब्जा है।अतः लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि जमीन जैर बहस के बाबत दी/अप्रार्थी प्रतापसिहं का कब्जा व काश्त है वादीगण का कोई हक व नहीं है व खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती बवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारीज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकनं किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीने मूल वाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रतिकूल कब्जे के बाबत तथ्य साफ तौर पर उजागर हुए है। जहां तक प्रश्न वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा का है,वादी ने वादग्रस्त भूमि पुस्तैनी सम्पति होना दर्ज किया है जो मूल वाद में बाद कायम तनकीयात एवं साक्ष्यों से साबित होना है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी न0 02 के नाम से दर्ज है परन्तु वादग्रत आराजी के वर्तमान कब्जा काश्त के विन्दु को भी दृष्टिगत रखा जाना भी उचित है। उक्त तथ्यों के मध्यजनर मूल वाद में अन्य कोई जटिलता ना हो, इसके लिए मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने में कोई प्रतिकुलता दृष्टिगोचर नहीं होती है। पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में स्थाई समाधान अथवा किसी एक पक्ष का स्वामित्व के प्रश्न पर विचारण मूल वाद में किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायहीत में उचित प्रतीत होता है।

तमाम साक्ष्य सबूतों के मध्यनजर यह न्यायालय इस बात से पूर्ण सहमत है कि मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए ताकि मूल वाद के निस्तारण में और जटिलता पैदा ना हो। इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम नूआं के ख0न0 539, 540 एवं 541 की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा